



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन क्र. 173/15-17

5 मेर्सी 14 साल बाद भारत में फ्रेंडली ऐच खेलेंगे

सम्पादकीय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर...

मध्यप्रदेश | राजस्थान | हरियाणा | छत्तीसगढ़ | महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष 19 ● अंक 71 ई-पेपर के लिए लॉगिन करें -www.hindustanexpress.online

गवालियर, शुक्रवार 28 मार्च 2025

हल्ल रिच लिस्ट : मुकेश अंबानी देश में 5

मूल्य 2.00 रुपया, पृष्ठ 8

इस साल भारत आएंगे ब्लादिमिर पुतिन

यूक्रेन वॉर के बाद पहली भारत यात्रा, रूसी विदेश मंत्री बोले- तैयारियां की जा रही हैं।

आरन-एस

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। रूसी विदेश मंत्री संगी लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह यात्रा किस महीने या तारीख को हो सकती है।

लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नंदा देवी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की है। अब हमारी बारी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर



पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण

स्वीकार कर लिया है।

रूसी विदेश मंत्री ने यह बयान

किया। आखिरी बार 2021 में भारत

आए थे पुतिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने

06 दिसंबर 2021 में भारत को यात्रा

की थी। वह सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर (2 लाख 53 हजार करोड़ रुपए) सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था।

फरवरी 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए अधिक रोडमैप ने अपने बद्धाने की जांच हो गई।

भारत और रूस अपने बाइलेट्रन ट्रेड को दोगुना करके सालाना 100 अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने बीच 2030 के लिए नए अधिक रोडमैप ने आज सुरक्षित है, इसी से हमारा कल

भी सुरक्षित है।

पानी दे, गुरुवारी। दे। जल बिन

सब सूना है। जो सबको जीवन दे, वो

है जल। जल ही जीवन है। इससे हम

आज सुरक्षित है, इसी से हमारा कल

भी सुरक्षित है। जल बचाना हम सबको

जिम्मेदारी है। जल संरक्षण के लिए

सरकार ही नहीं, समाज को भी

आगे आना होगा। इसी मंशा से

मध्यप्रदेश सरकार जल गंगा जल

संवर्धन महा अधियान प्रारंभ करने जा

रही है।

है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

अलीराजपुर की प्राकृतिक घटा देखते

ही बनती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा

मैया के किनारे बांध बनाने से

अलीराजपुर क्षेत्र में स्विंग भूमि का

रक्का बढ़ है और अधिक समृद्धि

आई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

दिसंबर 2024 में अलीराजपुर जिले

को मिली लगभग 2000 करोड़ रुपए

की संदिव्य उड़ान परियोजना से 169

गांवों की संचांगी के लिए जल प्राप्ति

गांवों के लिए जल प्राप्ति नहीं निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 2600 रुपए प्रति

किंटल की दर से गेहूं का उपाजन किया

जा रहा है। सरकार सभी कृषकों का

गेहूं खरीदी। उन्होंने कहा कि गेहूं के

लिए शेष पृष्ठ 5 पर...



अलीराजपुर में 1369 नव दम्पत्यों को 7 करोड़ 52 लाख की राशि कन्यादान के रूप में दी

प्यासे खेत को जब पानी मिलेगा

तो सोने के समान होगी खेती

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

यादव ने कहा कि पाणिग्रहण संस्कार,

16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है।

आज अलीराजपुर में 1369 नव

दम्पत्यों को मुख्यमंत्री कन्यादान किया

योजना में 7 करोड़ 52 लाख रुपये की

की राशि कन्यादान के रूप में दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी वर

(दूल्हा) से कहा कि हमें देंतों के

रूप में अपने घर की नैनक आपका

सोप रहे हैं, इनका खाल रखना अब

आपका दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने गुरुवार को अलीराजपुर में

आयोजित सामुहिक विवाह सम्मलन

में शामिल होकर वर-वधू को

आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ने पृथुपाल प्रधानमंत्री नंदेर दोनों

कर्मचारी के कलंकर को

निर्देशित किया कि 220 केवी ग्रिड,

कक्कराना घाट एवं कन्या खेल परिसर

का प्रोजेक्ट भेजे, जिससे अविवाह

स्वीकृत किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने पृथुपाल प्रधानमंत्री नंदेर नंदेर

कर्मचारी के संचार रूप से अविवाह

करने के लिए विवाह समाज को देखना

चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना चाहता है। यह एक विवाह समाज को

देखना च

संपादकीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकट किया खेद, न्यायाधीश की टिप्पणियों को बताया असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण



कई बार अदालतों के सम्मान कुछ मामलों में कानून के बाराक बिंदुओं का व्याख्या करने में अडचन आ जाती है। मगर यह ऐसा कई मामलों नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेशा आई होगी। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते वर्क अदालतों से घटना, तथ्यों और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाधारपूर्ण निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिंग के साथ यीन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण है। अदालत ने इस संबंध में फैसला दिया कि संवैधित लड़की के साथ जो किया गया, उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उचित ही, स्वतं सज्जन लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण बाला बताया है। यह बात किसी को गले नहीं उतर पा रही कि जब पाक्सों का नून में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हक्कतों की आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संवैधित न्यायाधीश का न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में तो उन्हें घूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया! यह ठीक है कि कई बार अदालतों के समान कुछ मामलों में कानून के बारीक बिंदुओं की व्याख्या करने में अडचन आ जाती है, मगर यह ऐसा कई मामला नहीं था, जिसमें कोई दिक्षित पेशा आई होगी। फिर, अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने कुछ शब्दों को महिला सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उनकी जगह समानजनक शब्द सुझाए थे। कुछ अशोभन कहे जाने वाले शब्द, जो प्राय-महिलाओं से जुड़े मामलों में लंबे समय से अदालतों में प्रयुक्त होते आ रहे थे, उन्हें बदल दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों की सूची बना कर देश की सभी अदालतों में प्रसारित किया था। इसके बावजूद अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश ने महिला असिमता से जुड़े अहम पक्षों को सरसरी ढांग से देखने का प्रयास किया, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में पाक्सों और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि इससे किसी को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट मिल जाती है। पहले ही महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतें दर्ज करने को लेकर चुप्पी साध जाने या कदम वापस खींच लेने को लेकर चिंता जाताई रही है। फिर, जांच में पूर्वाधार, दबाव, साठांग आदि के चलते पर्यास सबूत न मिल पाने के कारण दोष सिद्ध की दर बहुत कम रहना भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर अदालतें खुद अपने फैसलों में संक्षिप्त दृष्टिकोण दिखाएंगी, तो ऐसे मामलों पर लगाम लगने का भरोसा भला कैसे बन सकेगा।

इस दुनिया में
बोलना सभी को
आता है, लेकिन
सुनना और वह भी
धैर्यपूर्वक और पूरी
शांति से किसी की
बात सुनना, बहुत
कम लोगों को
आता है। जबकि
एक अच्छा श्रोता
होना श्रेष्ठ गुण है।
कोई भी व्यक्ति
अच्छे श्रोता से बात
करने में खुशी
महसूस करता है,
जो उसकी बात को
पूरी तन्मयता के
साथ सुनता है और
उसके बाद उस
विषय पर सार्थक
संवाद करता है।

**अच्छा श्रोता सिर्फ अपने लिए नहीं बरिक
दूसरों के लिए भी साबित होता है फायदेमंद,
मनोचिकित्सक की निमाता है भूमिका**

एक अच्छा श्रोता मनाचिकित्सक की तरह
मेंता है, क्योंकि वह किसी के मन में दबी हुई
दड़वी यादों, अनुभव और बातों को बाहर
निकाल कर उसके हृदय को भारहीन, पीड़ाहीन
न कर उसे खुशी और संतुष्टि देता है। यानी अच्छा
श्रोता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी
नायदेमंद होता है। जब हम किसी से बात कर
होते हैं, तो सामने वाले की बात को पूरे
यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए।
इस दुनिया में बोलना सभी को आता है,

नेकिन सुनना और वह भी धैर्यपूर्वक और पूरी आंति से किसी की बात सुनना, बहुत कम गोगों को आता है। जबकि एक अच्छा श्रोता जो बात करने में खुशी महसूस करता है, जो उसकी बात को पूरी तन्मयता के साथ सुनता है और उसके बाद उस विषय पर सार्थक विचार करता है। वका का बोलना सार्थक होता है, श्रोता का सुनना सार्थक होता है। अच्छा श्रोता बनना ऐसी कला है, जो सभी को आनी आहिए, क्योंकि इसके अनेक फायदे हैं। अच्छा श्रोता बन कर ही हम दुनिया की बातों के लिए उनके अनुभव से दुनिया के बारे में भव्यधिक समझ विकसित कर सकते हैं, इसमें से अपने काम की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। वह एक बात का अपने जीवन में अनुभव नहीं नह सकता है और न हर परिस्थिति को जी नह सकता है। कुछ न कुछ हमें दूसरों के जीवन में सीखना पड़ता है। इसके लिए उन्हें समझना और सुनना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब कोई अपना अनुभव या अपने सार्थक विचार हमें सुनाए, तो हम एक अच्छा श्रोता बन कर सुनें। उसके सार तत्त्व को ग्रहण करें और अपने ज्ञान को समृद्ध करें, ताकि उसके अनुभव का भरपूर लाभ हमें भी मिले। मगर हम तभी संभव हैं जब हम धैर्यपूर्वक किसी नी बात को तन्मयता से सुनें। विंस्टन चर्चिल ना कहना था कि 'आगर आप सिर्फ बोलना सानत है, तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं'। आनी सुनना मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और वह उसकी सफलता में भी सहयोगी है। नहा भी गया है कि किसी अकलिमद से बात नहरना हजार किताबों को पढ़ने के बराबर होता है। तो सिर्फ बात करने से ही काम नहीं बन सकता है, बल्कि उन बातों को ध्यानपूर्वक

एक अच्छा श्रोता मरोचिकित्सक की होता है, क्योंकि वह किसी के मन में दब ड़वी यादें, अनुभव और बातों को निकाल कर उसके हृदय को भावीड़ाविहीन कर उसे खुशी और संतुष्टि देता है। जानी अच्छा श्रोता सिफ अपने लिए दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सामने की बात को पूरे ध्यान से सुनने का करना चाहिए। यह शारीरिक-मानसिक रूप से होना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुनने के ही उसका उत्तर या उस पर अपने विचार किया जाए, तो हम ज्यादा बेहतर तरीका अपना विचार प्रकट करते हैं। अगर बिना को सुने हम किसी बात पर अपना प्रकट करते हैं, तो वह अर्थहीन होगा, क्योंकि हम किसी की बात को पूरी तरह सुनन्हीं, तो उस बात का सटीक उत्तर कहाँ सकते हैं। अक्सर लोग सिफ अपनी बात एकलाप करते रहते हैं। एकलाप का ३

तरह हुई आहर नीन, है। नहीं होना चाहिए। यह बात बहुत अजीब सकती है, लेकिन यही सच है। हर कोई अश्रोता नहीं होता है और न ही उसके पास अश्रोता बनने की कला होती है। जिस प्रकार अच्छा लिखने के लिए काफी कुछ पढ़ाता है, इसी प्रकार एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। कुछ लोगों के भीतर इतना भी शिष्टाचल नहीं होता है कि वे पूरी बात को सुनने के बाद अपनी बात रखें। वे बात को बीच में ही बदल कर या अनसुना करके अपनी बात कहना शुरूआत से ही वे बातों पर न तरह ध्यान दे रहे होते हैं और न सुन रहे हैं। ऐसे में वक्ता को घोर निराशा होती जबकि अगर कोई कुछ बोल रहा है या अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको अपना विचार समाप्त करने देना जरूरी होता है। वह में टोकने से यह पता चलता है कि हम वास्तव में उनके विचारों की परवाह नहीं करते हैं। उनके लिए हमारे अंदर सम्मान की कमी नहीं है।

जल्ह और बाल हैं। तो यह मैं यह जाना
में दिलचस्पी लेता है, तो हम खुश, संतुष्ट और
अपने आप को उत्साहित और प्रेरित महसूस
करते हैं। श्रोता बनने के लिए हमें धैर्यपूर्वक
दूसरों को अपनी बात कहने के लिए उत्साहित
करना चाहिए। उनकी बातों में दिलचस्पी
लेकर उनसे उनकी बात से संबंधित सवाल
पूछने चाहिए। बीच में बात काट कर अशिष्टा
नहीं करनी चाहिए और न ही विषय बदल कर
अपनी अरुचि दिखानी चाहिए। यह हमारे
अच्छा श्रोता बनने के मार्ग में बाधक बनता है।
हम खुद यह विचार करके देखें कि हम किसी
से अपनी पीड़ा, मनोभावना बांट रहे हैं और
वह व्यक्ति हमारी बात को काट कर या
अनुसन्धान करके अपनी बात कहना शुरू कर दे,
तो क्या भविष्य में ऐसे व्यक्ति से हम कोई बात
कर पाएँगे? हमारा थोड़ा-सा प्रयास हमें अच्छा
श्रोता बना सकता है और इस कला को
विकसित करने के कई तरीके हैं। या तो हम
स्वयं इस दिशा में प्रयास करें या फिर हम
किसी चिकित्सक की मदद लेकर अपने इस

शहरी विकास का सही तरीका, अर्बन प्लानिंग के लिए ठोस प्रयास आवश्यक

दिशा देने की क्षमता के धनी हों। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नज़रिये से देखना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही प्लानिंग एजुकेशन का रूपांतरण भी जरूरी है। अब हमें प्लानिंग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के व्यापक परिदृश्य बाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस दिशा में परिणाम आधारित शिक्षा की पहल उपयोगी होगी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कुछ इस तरह निर्धारित करना होगा कि वह रोजगार बाजार की तेज़ी से बढ़ती मांग के अनुरूप हो। उससे ऐसे स्नातक निकलें, जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही लैस न हों, बल्कि उनके पास तकनीकी, विश्लेषणात्मक और संचाद के ऐसे कौशल होंं जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जूँझ सकें। इसके साथ ही उनमें नीतियों के विश्लेषण की क्षमता हो और सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की बारिकियों को समझते हों। प्लानिंग एजुकेशन को समाजशास्त्री आर्थिकी, पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों के समझ और उन्हें समग्र रूप से अपनाने का पहलू पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शहरी प्रबंधन, शहरी वित्त परियोजना विकास, नीति नियोजन तथा विश्लेषण जैसे विषय आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए बेहद आवश्यक हैं। संस्थानों को अस्थायी शिक्षकों के बजाय प्रतिबद्ध और पूर्णकालिक शिक्षकों में निवेश करना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन, समस्याओं से निपटने के लिए शहरों की क्षमता

च्छा उदाहरण है। हम डाक्टरों को अपने तरह तैयार करते हैं कि वे लोगों के बचन की रक्षा करने की महती अमेदारी का निर्वहन कर सकें। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में गंभीर दस साल लगते हैं। इसके बाद वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। दसरी ओर अर्बन बाचन हैं, जिन पर पूरे समुदाय के लिए एवं सुखद जीवन का जिम्मा लाता है। क्या उन्हें तैयार करने के लिए बहल दो साल काफी हैं। मेडिकल शिक्षा की तरह अर्बन प्लानिंग को भी एक डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें प्लानरों को लगातार खेने की प्रक्रिया से गुजारना होगा। अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता के कोर्स ने चाहिए। इसी से हमारे प्लानर बाचार और टिकाऊ शहरी विकास की अण्णी पक्की में रहेंगे। शहरी नियोजन के इस नए युग में जोर तकनीकी विशेषज्ञता पर हाँा चाहिए। निर्णय लेने की प्रभावशाली प्रक्रिया और समन्वय के लिए साप्ट स्किल्प का विकास जरूरी है। इसमें संवाद का महत्व बढ़ जाता है। कौटूक मैनेजमेंट और खरीद के मामलों में इसकी अधिक जरूरत होती है। अर्बन प्लानिंग को गंभीर और समर्पित पेशे के रूप में स्थापित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर समूहों और प्रैक्टिशनर्स सभी की ओर से ठेस प्रयास आवश्यक हैं।

निरंतर सीखने की संस्कृति, विशेषज्ञता और जरूरी साप्ट स्किल के साथ प्लानिंग एजुकेशन ऐसे पेशेवर तैयार कर सकती है, जो शहरी विकास की बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर सकें। शहरी नियोजन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण न केवल आज की जरूरतों परामिति नहीं रहेंगे।

सांसदों का आचरण, लोकसभा अध्यक्ष को बार-बार देनी पड़ रही नसीहत

लोकसभा अध्यक्ष
को एक बार फिर
सदन में सांसदों के
आवरण पर नसीहत
देनी पड़ी। इस बार यह
नसीहत राहुल गांधी

लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला ने राहुल
गांधी की ओर संकेत
करते हुए उनसे सदन
की गरिमा बनाए
रखने को कहा।
उनकी टिप्पणी से यह
तो स्पष्ट नहीं हुआ कि
वह उनकी किस
गतिविधि को
रेखांकित कर रहे थे।

नस्ल और रंग के
आधार पर भेदभाव
पूरी दुनिया में विंता
का विषय है

भारतीय समाज भी
इससे मुक्त नहीं है
सदियों से इस तरटु
के भेदभाव में
महिलाएं कुछ ज्यादा
ही निशाने पर होती
आई हैं। दृख्य की बात
है कि न केवल
शिक्षित लड़कियां
बल्कि बड़े ओहडे पर
आसीन महिलाएं भी
इससे बच नहीं पाई
हैं।

आज के दौर में रंग-भेट का लोग हो रहे शिकार, शारदा मुरलीधरन पर की गई अमद्व टिप्पणी इसका जीता जागता प्रमाण

